

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान जसकरण सिंह आदि बनाम सरजीत सिंह आदि
 धारा :- 88 आरटीए राजस्व वाद संख्या 92/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
16.04.18	अभिभाषक वादीगण द्वारा दावा पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.06.2018 को पेश हो। (ल)	
26-4-18	पञ्चवली पेशी के लिये गइ। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच दायर कार्य शरीरगत पेश किया जा बाद तलब कर शरीरगत पञ्चवली किया गया। पञ्चवली दिनांक 4.5.18 को पेश हो। (ल)	<p>Jasbir Singh Yashinder Singh I. by me Anamika (Ami G. 2018)</p> <p>26-4-18</p> <p>26-4-18</p>
4.5.18	पञ्चवली शपथ लेने के बाद अदालत के पक्ष में पेशी के पेश हो। उक्त पत्र शरीरगत कार्य उप. को केस के पुनः गणना विन्दने सुनावित शरीरगत वाद-पत्र दि. 4.5.18 को पेश किया। इसके द्वारा वाद-पत्र के उपलब्ध दस्तावेजी कार्य व रिकार्ड, शरीरगत कार्य का इन्तेजान किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण सुनावित शरीरगत	



वादग्रस्त आगामी-पत्र 2 SNM शब्दा 122/109
 व इती-पत्र के शब्दा 123/110 में उतिगती
 1 के एक इती आगामी के के घोषणा का
 कुतुमाह केवाटे विवर के कोटि विरोध
 एकारे लकत नही फाने के वादीगज का वाद
 पत्र सुताविक गधीनामा डिक्ली सिमा जात
 उक्ति उतीन होता है

एतः वादीगज का वाद-पत्र सुताविक
 गधीनामा डिक्ली सिमा जाकर कोटिन
 सिमा जाते है कि एक 2 SNM के शब्दा
 122/109 के प.न. 123/275 (39)
 किला न. 11 ता 13 कुल सिमा 3 भागि 0.759
 है के 4/5 हिस्सा एवं इती-पत्र के शब्दा
 123/110 प.न. 123/275 (39) किला
 नंबर 1 ता 10 भागि 2.530 है के के वादी-
 गज के 1/3 हिस्सा भागि का वादीगज के
 गानेदार का रतकार कोटिन सिमा जाते है।
 यह उतगत शक नोंक इत है की लमज
 सुकता का उमाण- पत्र प्रेश करके पर
 सुता सुता गजलब रिक्लेड के के कत सिमा
 पावे पगवली के लला सुकत होकर
 कारिल इपुतर भी पावे पनी डिक्ली पायी है।
 कोडे सुगता गभा।

सहस्यक कलक्टर
 एवं उपखण्डाधिकारी
 हनुमानगढ़

अज 3

 दावा
 विकास
 उपसि
 डिक्ली
 संख्या
 यानि
 प0न0
 1/3
 यदि
 उक्त

ब

 से वि

पर्चा डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:-सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान चोहिलावाली
पीठासीन अधिकारी :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

जसकरण सिंह आदि बनाम सरजीत सिंह आदि

दावा बाबत 88 आरटीए, राजस्व वाद संख्या:-92/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री विकास रणवा अधिवक्ता-वादीगण व श्री योगेश झोरड-अधिवक्ता-प्रतिवादीगण उपस्थित होकर हुकम दिया जाता है कि वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी चक नं0 2 एस.एन.एम के खाता संख्या-122/109 के प0न0 123/275 (39) किला नं0 11 ता 13 कुल किता 3 यानि 0.759 है0 मे 4/5 हिस्सा एव इसी चक के खाता संख्या- 123/110 के प0न0 123/275 (39) किला नं0 1 ता 10 यानी 2.530 है0 मे से वादीगण को 1/3 हिस्सा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जात है। यदि प्रश्नगत रकवा बैंक रहन है तो चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर उक्तानुसार राजस्व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

.....लीज.....मुबलिंग.....
.....बातत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....
.....से तारीख वसुलयाबी.....बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा
से दिनांक 4-05-2018 से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

विवरण पक्षकार

3. जसकरण सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह जाति मजबीसिख निवासी श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. यादविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरजीत सिंह जाति मजबीसिख निवासी श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

—वादीगण—

—: बनाम :-

4. सरजीत सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति मजबीसिख निवासी श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. चरणजीत सिंह श्री सुरजीत सिंह जाति मजबीसिख निवासी श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ (राजस्थान)

—:प्रतिवादीगणा:-

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़